# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—203/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00203)

1. महावीर सिंह पुत्र सोहनसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र सरदार सिंह
   दोनों जाति राजपूत, निवासी ग्राम सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. पदम सिंह पुत्र सोहनसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र सोहनसिंह
3. उगमसिंह पुत्र सोहनसिंह
4. कुंदनसिंह पुत्र सरदारसिंह
5. इंद्रसिंह पुत्र सरदारसिंह
6. चंद्रसिंह पुत्र सरदारसिंह
7. गणपतसिंह पुत्र मानसिंह
8. रेवतसिंह पुत्र मानसिंह
9. कमोद कंवर पत्नि भंवरसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुनाडिय, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 51/2018

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांकः—21.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 51/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट्स/वादीगण ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद वर्तमान अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रिसीवर नियुक्त किए जाने प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय दिनांक 9.1.2019 से अपीलांट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 51/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.1.2019 की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं हो सकी थी। चूंकि प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण को कह रखा था कि राजस्व प्रकरण लम्बे चलते है। इसलिए तुम्हें हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हे सूचना देकर बुलवा लूंगा। लेकिन अभिभाषक की उक्त निर्णय बाबत कोई भी सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई। हाल ही में दिनांक 10.6.2019 को प्रार्थीगण ने अपने अभिभाषक से आकर सम्पर्क किया और प्रकरण संबंधी जानकारी चाही। तब अभिभाषक ने अवगत कराया कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 9.1.2019 को ही हो गया है तथा निर्णय के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक सलाह प्रदान की। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.6.2019 को निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 10.6.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संबंधी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया। जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

**R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5-** ***When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.***

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

***अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।***

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को समझे बिना एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियो पर गौर किए बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत की जा रही है तथा आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिस पर प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा उन्हें धारा 107/116 जा.फौ. के तहत भी पाबंद करवाया गया है एवं न्यायालय द्वारा भी तहसीलदार एवं थानाधिकारी को स्थगन आदेश की पालना हेतु आदेश दिए गए है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है एवं झगड़ा फसाद की स्थिति बनी हुई हो, तो विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि मौके पर स्थिति गंभीर ना हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि "प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने जिस आराजी बाबत रिसीवरी प्रार्थना पत्र पेश किया है, उस आराजी पर पूर्व में ही इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 29/2018 मे स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस न्यायालय के आदेश क्रमांक आर/ए/18/1039 दिनांक 3.7.2018 के द्वारा पुलिस इमदाद भी जारी की गई है, जो वर्तमान तक प्रभावित चल रहा है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा रिसीवरी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का आदेश प्रसारित होता है तो पूर्व मे न्यायालय द्वारा जारी आदेशो मे विसंगतियां उत्पन्न होगी" यहां गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित उक्त विवेचन त्रुटिपूर्ण है। उक्त स्थिति के रहते हुए भी जब अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स विवादित आराजी को खुर्द बुर्द किए जाने व झगडा फसाद किए जाने पर आमादा हुए, तब प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पूर्णतया प्रावधानों के अन्तर्गत है। क्योंकि उक्त उपचार प्रदान किए जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा हो अथवा झगडा फसाद करने पर आमादा हो, तो अन्तिम उपचार के रूप मे रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिसके लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि "पक्षकारान के मध्य

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

राजस्व वाद विचाराधीन है एवं इसके अलावा अन्य कोई फौजदारी या राजस्व प्रकरण विचाराधीन होना प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है, जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि के बाबत रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा" यहां गौरतलब है कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो की पुष्टि की एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध की गई 107/116 जा.फौ., जिसके तहत अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया गया था, की प्रति प्रस्तुत की तथा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के स्थगन आदेश की अवहेलना की जाने पर पुलिस इमदाद प्रदान की गई। उक्त समस्त तथ्यों से पूर्णतया साबित था कि मामला अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है एवं विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि "पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है, जिसका गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। इसलिए जब तक प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वादग्रस्त आराजी बाबत नवीन आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं है।" यहां गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन पूर्णतया विधि विरूद्ध है। क्योंकि विवादित आराजी पर रिसीवर की नियुक्ति दौराने वाद ही की जाती है। वाद के निस्तारण पर तो हक व अधिकार निर्धारित हो जाते है एवं रिसीवरी भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए वाद के निस्तारण तक रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 51/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

8. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन पाया कि वर्तमान अपीलांट्स/वादीगण ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद वर्तमान अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रिसीवर नियुक्त किए जाने प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय दिनांक 9.1.2019 से अपीलांट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमा दिया। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 18.5.2018 को प्रसारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि विवादित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 313/1 के नवीन खसरा नम्बर 476, 477 कुल रकबा 1.54 है0 भूमि वाकै ग्राम सुनाडिया तहसील दूदू जिला जयपुर में प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे व राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना बाबत न्यायालय के आदेश क्रमांक आर/ए/18/1038–39 जो दिनांक 3.7.2018 को थानाधिकारी दूदू व तहसीलदार दूदू को प्रेषित किया गया जो वर्तमान में भी प्रभावी है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के प्रभावी रहते हुए न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिसीवरी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा यदि किसी प्रकार का आदेश प्रसारित किया जाता है तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि उभयपक्षकारन के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद लंबित है जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जाना है, अतः निर्णय के पश्चात ही पक्षकारान के मध्य हक अधिकार तय होंगे। अतः दौराने वाद किसी प्रकार का नवीन आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा क्यों कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो रिलिफ रिसीवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से मांगी गई है वह बिना किसी विषम परिस्थिति के प्रकरण में पारित नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा को दृष्टिगत हुई है। न्यायालय हाजा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया " *जब प्रतिवादी को आराजी जेर बहस को नष्ट करने, हानि पहुंचाने तथा अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक दिया गया है तो रिसीवर नियुक्ति की प्रार्थना अस्वीकार की जा सकती है* **(1964 आर0आर0डी0 240 सुरेन्द्रसिंह बनाम मगला)** " उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। चूंकि रिसीवर नियुक्ति का आदेश न्यायालयों का सबसे सख्त आदेश है जो प्रकरण में बिना किसी विषत परिस्थिति के दिया जाना न्याय संगत नहीं है। वर्तमान प्रकरण में भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति उभयपक्षकारन के मध्य नहीं है जिस बाबत अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बावत पूर्व में ही आदेश पारित किए जा चुके है। अतः अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है वह दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 51/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/04/2025

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर



Scanned with CamScanner